



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092023-249038
CG-DL-E-27092023-249038

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4083]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2023/आश्विन 5, 1945

No. 4083]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2023/ ASVINA 5, 1945

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2023

संख्या 69/2023-सीमा शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 4253(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51क की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या 18/2023-सीमाशुल्क (गै.टे.), जिसे का.आ. 1512(अ) दिनांक 30 मार्च 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा,-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, '30 सितंबर, 2023', शब्दों के स्थान पर '30 नवम्बर, 2023', शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[फा. सं. 442/02/2017-सीमा शुल्क IV(पार्ट)]

राधे कृष्णा, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 18/2023-सीमाशुल्क (गै.टे) दिनांक 30 मार्च, 2023, को का.आ. 1528(अ) दिनांक 30 मार्च, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड II में प्रकाशित किया गया था

और अधिसूचना संख्या 31/2023-सीमाशुल्क(गै.टे) दिनांक 26 अप्रैल, 2023, जिसे का.आ. 1935(अ) जिसे दिनांक 26 अप्रैल, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड II में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या 49/2023-सीमाशुल्क(गै.टे.) दिनांक 30 जून, 2023 जिसे का.आ. 2831(अ) दिनांक 30 जून, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, द्वारा संशोधित किया गया था |

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2023

No. 69/2023-Customs (N.T.)

S.O. 4253(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 51A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following amendments to the notification No.18/2023-Customs (N.T.) dated the 30th March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 1528 (E), dated the 30th March, 2023, namely, -

In the said notification, in para 2, for the words, '30th September, 2023', the words '30th November, 2023' shall be substituted.

[F. No. 442/02/2017-Cus IV(Pt)]

RADHE KRISHNA, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide notification no. 18/2023–Customs (N.T.), dated the 30th March, 2023, vide number S. O. 1528 (E), dated the 30th March, 2023 and was amended by notification no. 31/2023-Customs (N.T.) dated the 26th April, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1935(E), dated the 26th April, 2023 and notification no. 49/2023-Customs (N.T.) dated the 30th June, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2831(E), dated the 30th June, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2023

संख्या 70/2023-सीमा शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 4254(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51क की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या 19/2022-सीमाशुल्क (गै.टे), जिसे का.आ. 1512(अ) दिनांक 30 मार्च 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा,-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, '1 अक्टूबर, 2023', शब्दों के स्थान पर '1 दिसम्बर, 2023', शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[फा. सं. 442/02/2017-सीमा शुल्क IV(पार्ट)]

राधे कृष्णा, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 19/2022-सीमाशुल्क(गै.टे) दिनांक 30 मार्च, 2022, को का. आ. 1512(अ) दिनांक 30 मार्च, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड II में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या 48/2022-सीमाशुल्क(गै.टे) दिनांक 31 मई, 2022 जिसे का. आ. 2494(अ) दिनांक 31 मई,

2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड II में प्रकाशित किया गया था, अधिसूचना संख्या 99/2022 -सीमाशुल्क(गै.टे.) दिनांक 29 नवंबर, 2022 जिसे का. आ. 5540(अ) दिनांक 29 नवम्बर, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड II में प्रकाशित किया गया था, अधिसूचना सं. 19/2023-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 मार्च, 2023 जिसे का.आ. 1529 (अ), दिनांक 30 मार्च, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड II में प्रकाशित किया गया था, अधिसूचना संख्या 30/2023 -सीमाशुल्क(गै.टे.) दिनांक 26 अप्रैल, 2023 जिसे का. आ. 1934(अ) दिनांक 26 अप्रैल, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, और अधिसूचना संख्या 48/2023 -सीमाशुल्क(गै.टे.) दिनांक 30 जून, 2023 जिसे का. आ. 2830(अ) दिनांक 30 जून, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, द्वारा संशोधित किया गया था |

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2023

No. 70/2023-Customs (N.T.)

S.O. 4254(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 51A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following further amendments to the Notification No.19/2022-Customs (N.T.) dated the 30th March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 1512 (E), dated the 30th March, 2022, namely, -

In the said notification, in para 2, for the words, '1st October, 2023', the words '1st December, 2023' shall be substituted.

[F. No. 442/02/2017-Cus IV(Pt)]
RADHE KRISHNA, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide notification no. 19/2022–Customs (N.T.), dated the 30th March, 2022, vide number S. O. 1512 (E), dated the 30th March, 2022 and was amended by notification no. 48/2022–Customs (N.T.) dated the 31st May, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2494 (E), dated the 31st May, 2022, notification no. 99/2022–Customs (N.T.) dated the 29th November, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 5540 (E), dated the 29th November, 2022, notification no. 19/2023–Customs (N.T.) dated the 30th March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1529 (E), dated the 30th March, 2023, notification no. 30/2023–Customs (N.T.) dated the 26th April, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1934 (E), dated the 26th April, 2023 and notification no. 48/2023–Customs (N.T.) dated the 30th June, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 2830(E), dated the 30th June, 2023.